नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय की, दिनांक 28.01.2014 को, श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में, आहूत बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति : संलग्न है।

बैठक में उपायुक्त, लोहरदगा के प्रतिनिधि के रूप में उप विकास आयुक्त, लोहरदगा तथा उपायुक्त, लातेहार की ओर से अपर समाहर्ता, लातेहार प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

'समिति' की नियमावली के प्रावधान के अधीन 'समिति' के किसी सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी सदस्य की 'समिति' की आहूत बैठक में निजी अनुपलब्धता की स्थिति में विधिवत अनुपस्थिति अवकाश की स्वीकृति का आवेदन अध्यक्ष को समर्पित किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा, प्रावधानानुसार ऐसी अनुपस्थिति अनाधिकृत मानी जायेगी।

तद्नुसार विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार, उपायुक्त, लोहरदगा तथा उपायुक्त, लातेहार कृपया भविष्य में आहूत बैठकों के प्रसंग में इसका विशेष ध्यान रखें।

2. **बैठक की कार्यवाही –**

निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर आहूत बैठक के प्रारम्भ में मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार –सह–अध्यक्ष–नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा उपस्थित सदस्यों को यह बताया गया कि कतिपय आकस्मिक अत्यावश्यक अन्य प्रशासनिक कार्यो में उसी समय उनकी व्यस्तता होने के कारण उन्हें यह बैठक बीच में छोड़कर जाने की बाध्यता है। इस बीच समिति के वरीय सदस्य (श्री नरेन्द्र भगत, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष) की अध्यक्षता में अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित बैठक की कार्यसूची तथा उनके एजेन्डा नोट्स के आधार पर बैठक जारी रहे।

(क) मद सं० 1 : नेतरहाट विद्यालय के पुनरीक्षित वेबसाइट तथा नेतरहाट विद्यालय समिति की कार्यकारिणी समिति के नये विंडो (वेबसाइट) के लोकार्पण (LAUNCHING)।

कतिपय तकनीकी कठिनाई के चलते प्रस्तावित वेबसाइट को लोकार्पण संभव नहीं हो पाया। निर्णय हुआ कि 30 जनवरी 2014 के अपराह्न में समिति के अध्यक्ष से इसके लोकार्पण का अनुरोध किया जाय।

(ख) मद सं 2 : विगत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि :

(i) अन्यान्य मद की कंडिका (iv) में कतिपय संशोधन के साथ। 5वीं पंक्ति में **'अनुरोध किया गया'** के बदले **'अनुरोध किया जाय'** पढ़ा जाय।

3. **मद सं० 3 (क) विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन ।**

(i) विगत बैठक की कार्यवाही की कंडिका 5 में, विद्यालय परिसर में इंटरनेट/दूर संचार सेवा सुचारू रूप से किया जाना प्रक्रियारत प्रतिवेदित किये जाने के बिन्दु पर समिति का विद्यालय प्राचार्य को इस आशय का निदेश दिया गया कि वे इस विषय पर एक स्वतः स्पष्ट, आत्मभारित टिप्पणी तैयार कर बी.एस.एन.एल रांची के महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक को तत्काल भेजें जिसमें यह वर्णित हो कि नेतरहाट पठार पर उक्त संचार व्यवस्था की समस्या अब तक बनी हुई है जिनका निदान तत्काल आवश्यक है। साथ ही, यह निर्णय हुआ कि कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में BSNL रांची अंचल के उक्त वरीय पदाधिकारियों में से किसी एक को बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जाय।

(ii) विगत बैठक के "अन्यान्य" के मद सं० (ii), जिसमें यह प्रतिवेदन है कि विद्यालय में C.B.S.E से संबद्धता के कार्य प्रक्रिया में है, के संदर्भ में विद्यालय प्राचार्य को यह निदेश दिया गया कि C.B.S.E द्वारा गठित प्रावधानों के आलोक में एक चेक लिस्ट एवं एक्सन प्वाइन्ट्स तैयार करेंगे। तद्नुसार वे अपने स्तर पर बिन्दुवार यह समीक्षा कर लें कि ऐसे किन–किन बिन्दुओं की शर्तो की प्रतिपूर्ति विद्यालय प्रशासन करता है तथा किन–किन शर्तो की प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। इस

प्रकार तैयार किये गये प्रतिवेदन को विद्यालय प्राचार्य कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि 2015 से विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्यालय प्रशासन द्वारा ली जाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई विद्यालय प्राचार्य अपने स्तर पर करेंगे।

(iii) गत बैठक के अन्यान्य की मद सं० (iii), जो नेतरहाट विद्यालय परिसर स्थित शैले से सम्बन्धित है, पर समिति का यह निदेश हुआ कि आज दिनांक 28.01.2014 की आहूत बैठक की कार्यसूची में यह सम्मिलित है, अस्तु उक्त कार्यसूची के अधीन इस पर विचार–विमर्श हो।

(iv) विगत बैठक के अन्यान्य मद सं० (iv), जो नेतरहाट विद्यालय के हीरक जयन्ती वर्ष नवम्बर 2013 –नवम्बर 2014–समारोह से सम्बन्धित है, के प्रसंग में समिति का यह निदेश हुआ कि : आज की बैठक में अन्यान्य मद में यह प्रस्तावित है, अस्तु इस पर तदनुसार अलग से विचार–विमर्श हो।

उपर्युक्त कंडिकाओं एवं उपकंडिकाओं में वर्णित संशोधनों के साथ विगत बैठक दिनांक 18.10.2013 की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

मद सं० 3 (ख) : वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट प्रस्ताव के योजना मद की स्वीकृति तथा गैर योजना मद की घटनोत्तर स्वीकृति।

विचार–विमर्श उपरान्त वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट प्रस्ताव के योजना मद में सन्निहित कुल राशि 35,62,09,000.00रू० (पैंतीस करोड़ बासठ लाख नौ हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा गैर योजना मद में सन्निहित कुल राशि 15,29,08,000.00रू० (पंद्रह करोड़ उन्नतीस लाख आठ हजार रूपये) मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

4. मद सं० 4 (क) : नेतरहाट विद्यालय परिसर स्थित विभिन्न संरचनाओं–प्रशासनिक भवन, क्लास रूम, आश्रमादि, के जीर्णोद्धार/विस्तार तथा प्रस्तावित नवनिर्माण संरचनाओं की विषयक कार्यों की प्रगति की समीक्षा।

बैठक में उपस्थित प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से यह इंगित किये जाने पर कि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग में समर्पित ऐसी योजनाओं की छाया प्रतियां होने के कारण, तथा साथ ही अनुरोध पत्र समिति के विशेष कार्य पदाधिकारी की ओर से समर्पित होने के कारण उन पर अग्रेतर कार्रवाई किये जाने में कठिनाई बनी हुई है। इस पर समिति का यह निदेश हुआ कि विद्यालय प्राचार्य सह–सदस्य सचिव अपने हस्ताक्षर से अनुरोध पत्र तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की मूल प्रतियां प्रशासी विभाग को आज ही समर्पित कर देंगे।

इस बिन्दु पर प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग को यह अवगत कराया गया कि समिति के रांची स्थित कार्यालय में पदस्थापित विशेष कार्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से कोई भी पत्र प्रशासी विभाग को देने जाने के पूर्व प्रासंगिक संचिका में समिति के अध्यक्ष/सभापति के पूर्व अनुमोदन की पद्धति अपनायी जाती रही है। इस दृष्टि से ऐसे पत्रों को भविष्य में असंगत अथवा अनियमित–स्वरूप कृपया प्रशासी विभाग न ले तथा उनपर सुसंगत अग्रेतर कार्रवाई करे।

विचार–विमर्श के उपरान्त 'समिति' का प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव–सह–सदस्य को इस आशय का निदेश हुआ कि समर्पित सभी तकनीकी स्वीकृत प्राप्त योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति की दृष्टि से, समेकित रूप से नहीं देखें बल्कि योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्रवाई करें। बताया गया कि सभी योजनाओं की वस्तुतः योजनावार ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। अतएव तदनुसार प्रशासी विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई तदनुरूप की जाय। प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव को पुनः यह स्मरण कराते हुए कि नेतरहाट विद्यालय का यह वर्ष 2013–14 हीरक जयन्ती वर्ष समारोह के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित है, अतएव विद्यालय परिसर स्थित विभिन्न भवनों/संरचनाओं के जीर्णोद्धार/विस्तार आदि के विगत दो वर्ष से लम्वित चले आ रहे कार्यान्वयन प्रस्ताव को अब शीघ्रताशीघ्र लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कृपया वे अपने स्तर से तत्सम्बन्धी कार्रवाई शीघ्र सम्पन्न करेंगे।

मद सं० 4 (ख) नेतरहाट विद्यालय समिति की नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं के प्रसंग में प्रशासनिक स्वीकृति इत्यादि कार्य 'समिति' स्तर से संपादित किए जाने हेतु विचार–विमर्श

उपर्युक्त मद सं 4(क) में इंगित विषय पर विचार–विमर्श के क्रम में 'समिति' द्वारा यह महसूस किया गया कि सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासी विभाग के स्तर पर किये जाने की प्रक्रिया तथा प्रावधान वस्तुतः समिति की स्वायत्तता की भावना के सवर्था विपरीत दीख पड़ता है। इस प्रक्रिया के अनुसरण का दुष्परिणाम यह रहा है कि जनवरी 2013 में तकनीकी अनुमोदन तदोपरान्त उनकी तकनीकी स्वीकृति के बावजूद उनके कार्यान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई पूर्णतः अवरूद्ध रही है। समिति की नियमावली में तत्सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गठित न होने के कारण इस प्रकार की कठिनाई अनावश्यक तौर पर बनी हुई है।

वर्णित स्थिति में 'समिति' का यह निर्णय हुआ कि नियमावली के नियम 12 (सामान्य निकाय के अधिकार एवं कार्य के उप नियम (x) नियमावली के संशोधन एवं विघटन पर विचार) के साथ पठित कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य के नियम 20 के उपनियम (i) ('संस्था की पूर्वानुमति से, कार्यकारिणी समिति के उपनियम गठित एवं संशोधित करने की शक्ति होगी, जो इस नियमावली के प्रावधानों के अनुकूल हो एवं संस्था के कार्यो के उचित प्रशासन एवं प्रबन्धन हेतु आवश्यक हो') के आलोक में उपेक्षित कार्रवाई कार्यकारिणी समिति के स्तर पर की जाय।

5. **मद सं० 5 : नेतरहाट विद्यालय परिसर स्थित 'शैले' (Chalet) भवन के स्वामित्व पर कथित विवाद के बिन्दु पर परिचर्चा तथा समाधान हेतु विचार–विमर्श।**

बैठक में उपस्थित प्रमण्डल आयुक्त पलामू द्वारा यह अवगत कराया गया कि विगत भूसर्वेक्षण (Land Survey) के दौरान नेतरहाट विद्यालय स्थित शैले, इसके एनेक्सी भवन, उसके आउट हाउस तथा भू–खंड भारत सरकार के नाम से दर्ज किया गया है। सम्प्रति उसे लातेहार जिला प्रशासन द्वारा अपने कैम्प कार्यालय के रूप में व्यवहार किया जा रहा है।

उपलब्ध सुसंगत सरकारी कागजातों के आधार पर समिति को यह अवगत कराया गया कि विद्यालय स्थापना के पूर्व 8 अगस्त 1953 को नेतरहाट में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में, अन्य बातों सहित, पठार स्थित शैले एवं उसके आउट हाउस को विद्यालय के उपयोगार्थ रखे जाने तथा इसके रख–रखाव हेतु भवन निर्माण विभाग के खाते में पूर्ववत बनाये रखने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का 31 अक्टूबर 1953 को बिहार राज्य सरकार के मंत्री परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदन किया गया।

इस दृष्टि से पलामू प्रमण्डल आयुक्त द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट सर्वथा त्रुटियुक्त है। समिति द्वारा उन्हें निदेशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ संबन्धित कार्यालय तथा पदाधिकारी को तत्सम्बन्धी त्रुटिसंशोधन विषयक आदेश (Correction Slip) शीघ्र निर्गत करने को कहें।

शैले को अबतक लातेहार उपायुक्त के कैम्प कार्यालय के रूप में घोषित एवं व्यवहृत किये जाने को समिति द्वारा सर्वथा अनाधिकृत तथा अनावश्यक अतिक्रमण (Encroachment) बताया गया। समिति का यह निर्णय हुआ कि उपायुक्त, लातेहार शीघ्र विद्यालय प्रशासन को शैले एवं उसके आउट हाउस आदि वापस कर दें तथा तत्सम्बन्धी अनुपालन प्रतिवेदन उपायुक्त लातेहार से प्राप्त कर पलामू प्रमण्डलीय आयुक्त समिति के अध्यक्ष को शीघ्र प्रस्तुत करें।

6. **अन्यान्य मद सं० 1 : नेतरहाट विद्यालय के हीरक जयंती वर्ष (2013–14) के समापन समारोह 15 नवम्बर, 2014 के मुख्य अतिथि के बारे में विचार–विमर्श।**

समिति द्वारा विमर्शोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(क) समारोह के उदघाटन समारोह हेतु भारत के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाय। इस आमंत्रण पत्र का प्रारूप तथा उसके साथ संलग्न किये जाने वाले संक्षिप्त विवरण का प्रारूप विद्यालय प्राचार्य, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, सह–अध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय समिति की ओर से तैयार कर, शीघ्र सभापति के माध्यम से अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।

(ख) समारोह सात दिवसीय किये जाने का प्रस्ताव है। समापन समारोह 16 नवम्बर 2014 को आयोजित होगा, चूंकि विद्यालय दिवस 15 नवम्बर, तथा झारखण्ड राज्य के स्थापना दिवस एक ही दिन होने के कारण राज्यस्तरीय विशिष्ट अतिथियों को समारोह में सम्मिलित होने में किंचित कठिनाई सम्भावित है।

(ग) समारोह में एक दिन मेमोरियल लेक्चर–यथा जे.एन.दर स्मृति व्याख्यान– का कार्यक्रम रखा जा सकता है।

(घ) हीरक जयन्ती वर्ष की स्मृति स्वरूप कुछेक नई संरचना–यथा, हीरक जयन्ती स्मृति द्वार–के निर्माण का विचार किया जा सकता है।

(ड.) समारोह के कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप देने के पूर्व देश–विदेश में स्थित विभिन्न नोबा इकाईयों तथा पूर्ववर्ती छात्रों से उनके सुझाव आमंत्रित किये जायं। विद्यालय के वेबसाइट में इसे तदनुसार शीघ्र समाहित किया जाय। इन इकाइयों तथा पूर्ववर्ती छात्रों से इस संबंध में यह भी आग्रह किया जाय कि वे अपने सुझाव एक माह, अर्थात फरवरी 2014 के अन्त तक विद्यालय प्रशासन समिति को समर्पित कर दें।

बैठक समाप्ति के समय मंत्री–सह–अध्यक्ष के अपने कार्यालय कक्ष में आने पर उन्हें कार्यकारिणी समिति के सभापति द्वारा बैठक में हुए विचार–विमर्श एवं तदोपरान्त लिए गये निर्णयों से बिन्दुवार अवगत कराया गया। साथ ही, उन्हें इस बात से भी अवगत कराया गया कि लिए गए बिन्दुवार सभी निर्णय पूर्व में तैयार किये गये एजेन्डा नोट्स में निहित प्रस्तावों के अनुरूप हैं जिनकी Briefing सभापति द्वारा दिनांक 29.01.2014 को अध्यक्ष को किये जाने के उपरान्त उनपर मदवार अनुमोदन प्राप्त किये गये थे।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

05/02/14.

(गीताश्री उराँव)
मंत्री,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार–सह–
–अध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय समिति।